न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 02/2014

वादीः—

1. श्री कुपाराम पुत्र श्री सवाजी जाति कुम्हार, उम्र 75 वर्ष निवासी आकेली, तहसील एवं जिला पाली (राजस्थान)

बनाम प्रतिवादीगणः—

1. श्री पेमाराम पुत्र श्री सवाजी, जाति कुम्हार, उम्र व्यस्क निवासी आकेली, तहसील एवं जिला पाली (राजस्थान)
2. राज्य सरकार द्वारा भूमिधारी तहसीलदार, पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः—

1. श्री दुष्यन्त व्यास, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री मनोहर दास वैष्णव,विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या एक

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:निर्णयः— दिनांक 31.10.19

1. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद के पक्षकारान पाली तहसील के निवासी हैं तथा पाली तहसील के मौजा ग्राम उतवण, पटवार क्षेत्र बोमादड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेरवा मे स्थित खसरा संख्या 58/1 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 संयुक्त रूप से खातेदार कृषक है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान मे दोनो का संयुक्त रूप से कब्जा व कास्त है वाद के आगामी पदों मे सुविधा की दृष्टी से उक्त भूमि को वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 दोनो वृद्ध है तथा दोनो सगे भाई हैं। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने आपसी सहमती से खसरा संख्या 58/1 की कृषि भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा कर मौके पर धोरा पाली व माठ कर मौके पर काबिज है तथा वे अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा व काश्त कर रहे है। वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा मे मार्क "ए" हिस्से पर वादी का कब्जा व काश्त है तथा मार्क "बी" हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा व काश्त है। उक्त नजरी नक्शा वाद का अंग है जिसे वाद के साथ पढ़ा व समझा जावे। वादी की हार्दिक इच्छा है कि वादी के जीवन काल मे वाद के उपरोक्त पद में वर्णित कृषि भूमि का वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 के बीच लिखित रूप से वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाने की है, ताकि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 के देहान्त के पश्चात् उक्त पक्षकारान के वारीसान के बीच उक्त कृषि भूमि को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद न हो तथा पक्षकारान के परिवार के प्रेम व सद्भाव यथावत बना रहें।

वाद मे वर्णित कृषि भूमि का लिखित बंटवाड़ा व तरमीम करवाने हेतु वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से अनेको बार निवेदन किया मगर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि का बंटवाड़ा करवाने का वादी को आश्वासन देता रहा। प्रतिवादी संख्या 01 ने दिनांक 21.11.2013 को वाद मे वर्णित कृर्षि भूमि का बंटवाड़ा करवाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस परिस्थिति मे वादी के समक्ष उक्त वाद की प्रस्तुती के अलावा अन्य कोई रास्ता शेष नहीं बचा है तथा वादी यह वाद पेश कर रहा हैं। प्रस्तुत वाद मे प्रतिवादी संख्या 02 भूमिधारी है, जो इस वाद मे औपचारिक पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया है तथा उक्त वाद मे प्रतिवाद संख्या 02 के विरूद्ध कोई विशेष अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस परिस्थिति मे प्रतिवादी संख्या 02 को धारा 80(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता का सूचना पत्र दिये बिना उक्त वाद पेश किया जा रहा है। धारा 80 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता का सूचना पत्र दिये बिना उक्त वाद पेश किये जाने के संबंध मे अनुमती हेतु पृथक आवेदन वाद के साथ संलग्न पेश किया है। वाद मे वर्णित कृषि भूमि का बंटवाड़ा कर तरमीम करवाने हेतु वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से अनेको बार निवेदन किया मगर प्रतिवादी संख्या 01 उक्त वर्णित भूमि का बंटवाड़ा कर तरमीम करवाने का वादी को आश्वासन देता रहा। प्रतिवादी संख्या 01 ने दिनांक 21.11.2013 को वाद मे वर्णित कृषि भूमि का बटवाड़ा कर तरमीम करवाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस परिस्थिति मे वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर पाली तहसील के मौजा ग्राम उतवण पटवार क्षेत्र बोमादड़ा भूमि अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेरवा मे स्थित होने से तथा उक्त वाद वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा व तरमीम करवाने हेतु होने से एवं वाद के पक्षकारान के मध्य वाद हैतुक ग्राम आकेली मे उत्पन्न होने से उक्त वाद की सूनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार श्रीमान को प्राप्त है।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

पाली तहसील के मौजा ग्राम उतवण, पटवार क्षैत्र बोमादड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैरवा में स्थित खसरा संख्या 58/1 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा वादग्रस्त कृर्षि भूमि को वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के बीच वाद मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के मौखिक बंटवाड़ा अनुसार या वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाये जाने व विधि अनुसार उक्त भूमि को तरमीम करने की डिक्री प्रदान करावें। वाद के साथ संलग्न खसरा संख्या 58/1 के नजरी नक्शे मे वर्णित मार्क "ए" की कृर्षि भूमि पर वादी के कब्जा व काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 हस्तक्षेप नहीं करे और न ही उक्त भूमि से वादी को प्रतिवादी संख्या 1 बेदखल करे तथा अन्य अनुतोष जो न्याय संगत हो प्रदान करावे।

2. वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

3. वकील प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 58/1 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी की शामलाती खातेदारी कृषि भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी का उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि पर वादी द्वारा पेश सलंग्न नक्शें अनुसार कभी भी बंटवारा नहीं हुआ अपितु पूर्व मे वादी एवं प्रतिवादी के बीच मे जो शामलाती कृषि भुमि मौजा गांव आकेली मे स्थित थी उक्त कृषि भूमि मे प्रतिवादी को अपना हिस्सा मिड एण्ड बाउंडस के हिसाब से न देकर बंजर भूमि दी गई उसकी बएवज प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि मे सड़क के किनारे की कृषि भूमि अपने बंटवाडे 1/2 के अनुसार दी गई तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा लोन लेकर अपने काबिज भाग पर कुआ खुदवाया गया । अब वादी आकेली की उपजाउ कृषि भूमि प्राप्त करने के पश्चात अपने वादे से हट कर उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 58/1 का भी बंटवारा अपने द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार करवाना चाहता है जो किसी भी रूप से न्याय संगत नहीं है। वादी के उक्त फिकरे के तमाम कथन गलत होने से अस्वीकार्य हैं वादी एवं प्रतिवादी के बीच कभी भी खसरा नम्बर 58/1 के आपसी बंटवारे की सहमति वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे अनुसार नहीं हुई और ना ही उक्त कृषि भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी उक्त नक्शे अनुसार काबिज रहे। प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त उक्त कृषि भूमि पर सड़क के किनारे किनारे आज दिन तक रहता आ रहा है।

जब वादी एवं प्रतिवादी के बीच वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार कब्जा काश्त ही नहीं है तब वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि का लिखित बंटवारा व तरमीम करवाने हेतू निवेदन करने का प्रश्त ही पैदा नहीं होता। न ही कभी प्रतिवादी संख्या एक ने वादी इस प्रकार बंटवारा एवं तरमीम करवाने का आश्वासन दिया। वादी द्वारा दिनांक 21.11.2013 को अंकित करना मात्र दावा पेश करने की गरज से किया गया है। उक्त दिनांक को न तो वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक से बात की गई और न ही उक्त कथन किया गया है। बंटवारा एवं तरमीम के दावे मे प्रतिवादी संख्या दो जो भूमिधारी है बतौर औपचारिक पक्षकार संयोजित नहीं होता है। इस परिस्थितियों मे प्रतिवादी दो को 80(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता का दावे से पूर्व नोटिस दिया जाना अति आवश्यक है। वादी द्वारा किसी प्रकार का प्रतिवादी संख्या एक को उक्त बंटवारा वादी द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शे के अनुसार करने का निवेदन नहीं किया गया है क्योंकि प्रतिवादी संख्या एक का कब्जा काश्त ही सड़क के किनारे है तब वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनसुार बंटवारा किये जाने का निवेदन करने का कथन ही सरासर गलत है। वादी को किसी प्रकार का वाद हेतूक प्राप्त नहीं हुआ है। वादी द्वारा बदनीयति पूर्वक आकेली की शामलाती कृषि भुमि का उपजाउ भाग प्राप्त करने के पश्चात लोभ वंश प्रतिवादी संख्या एक के साथ धोखा करने का षडयंत्र रचते हुए उक्त बंटवारा करने का वाद पेश किया गया है जो किसी भी रूप से न्याय संगत नहीं है। काबिल एक निरस्त है और ना ही इस संदर्भ मे दिनांक 21.11.2013 को वादी की प्रतिवादी संख्या एक के साथ किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई। जिससे भी वाद काबिल ए निरस्त है। वादी को अन्य शामलाती कृषि भूमि जो मौजा आकेली में स्थित है उसमे से उपजाउ भाग जो दिया गया है उसके बएवज प्रतिवादी संख्या एक को उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 58/1 का 1/2 भाग सड़क के किनारे किनारे दिया गया है। जिस पर काबिज रहते प्रतिवादी संख्या एक करीब सात आठ वर्षो से कृषि कार्य करता आ रहा है। अगर वादी आकेली गांव मे स्थित शामलात कृषि भूमि का बंटवारा मिड एंड आउण्डस के हिसाब से करता है तो प्रतिवादी संख्या एक भी तदनुरूप बंटवारा करने को तैयार है। वादी दोनो हाथों मे लडडू नहीं रख सकता है। मौजा गांव आकेली में स्थित वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक की शामलाती कृषि भुमि का बंटवारा भी मिड एंड बाउण्डस के हिसाब से करवाने की स्थित मे वादी उक्त कथन करने का हकदार हो सकता है। इस प्रकार वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष विधि विरूद्ध होने से काबिल ए निरस्त है।

4. वाद मे निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादग्रस्त भूमि का मौखिक रूप से बंटवारा कर मौके पर धोरापाली व माठ कर मौके पर उभयपक्ष काबिज है तथा अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

कब्जा व काश्त कर रहे है जो वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा में मार्क 'ए' हिस्से पर वादी का कब्जा कास्त है तथा मार्क 'बी' हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा व काश्त है– (वादी)

2. आया वादी वादग्रस्त भूमि के मौखिक बंटवारा अनुसार या बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवा कर उक्त भूमि का तरमीम करवाने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है– (वादी)
3. आया वादी प्रतिवादी के विरूद्ध वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शे मे वर्णित मार्क 'ए' की कृषि भूमि पर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है– (वादी)
4. आया वादी एवं प्रतिवादी के बीच आपसी बंटवारे की सहमति वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे अनुसार नहीं हुई और ना ही उक्त कृषि भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी नक्शे अनुसार काबिज रहे– (प्रतिवादी)
5. आया प्रतिवादी संख्या 2 को 80(2) सी.पी.सी. का दावे से पूर्व नोटिस नहीं दिये जाने से दावा चलने योग्य नहीं– (प्रतिवादी)

5. वादी ने अपने वाद को साबित करने हेतु श्री कुपाराम ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसमे निवेदन किया कि पाली तहसील के मौजा ग्राम उतवण, पटवार क्षेत्र बोमादड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खैरवा मे स्थित खसरा संख्या 58/1 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि के मेरी एवं प्रतिवादी संख्या 01 संयुक्त रूप से खातेदार कृषक है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान मे दोनो का संयुक्त रूप से कब्जा व काश्त है। मैं एवं प्रतिवादी संख्या 01 दोनो वर्तमान मे वृद्धावस्था मे है तथा दोनो सगे भाई हैं। मैंने तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने आपसी सहमती से खसरा संख्या 58/1 की कृषि भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा कर हम पक्षकारान मौके पर धोरा पाली व माठ की तथा हम अपने अपने हिस्से पर मौके पर काबिज है तथा हम पक्षकारान आज दिन तक अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा व काश्त कर रहे है। वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा मे मार्क "ए" हिस्से पर मेरा का कब्जा व काश्त है तथा मार्क "बी" हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा व काश्त है। उक्त नजरी नक्शा वाद का अंग है जिसे वाद के साथ पढ़ा व समझा जावे। वादी की हार्दिक इच्छा है कि वादी के जीवन काल मे वाद के उपरोक्त पद में वर्णित कृषि भूमि का मेरे तथा प्रतिवादी संख्या 01 के बीच लिखित रूप से बंटवाड़ा करवाने की है, ताकि मेरे तथा प्रतिवादी संख्या 01 के देहान्ह के पश्चात् हम पक्षकारान के वारीसान के बीच उक्त कृषि भूमि को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद न हो तथा पक्षकारान के परिवार के प्रेम व सद्भाव यथावत बना रहें। वाद के पद संख्या 01 मे वर्णित कृषि भूमि का लिखित बंटवाड़ा व तरमीम करवाने हेतु मैंने ने प्रतिवादी संख्या 01 से अनेको बार निवेदन किया मगर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाने का मुझे केवल आश्वासन देता रहा। प्रतिवादी संख्या 01 ने दिनांक 21.11.2013 को वाद मे वर्णित कृर्षि भूमि का बंटवाड़ा करवाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस परिस्थिति मे वादी के समक्ष उक्त वाद की प्रस्तुती के अलावा अन्य कोई रास्ता शेष नहीं बचा है तथा इन परिस्थितियों मे मैं वादग्रस्त कृर्षि भूमि खसरा संख्या 58/1 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा का मेरे तथा प्रतिवादी संख्या 1 के बीच मौखिक बंटवारा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाये जाने व विधि अनुसार उक्त भूमि का तरमीम करवाने का अधिकारी हुँ। **जिरह में** बताया कि जमाबंदी के खाता संख्या क्या है खाता संख्या का मुझे पता नहीं चलता है। खसरा नंबर 58 दोनो भाईयो ने मिल कर बेची है। उतवण की जमीन के आगे वाले भाग पर भूमि विकास बैंक से लोन दोनो भाईयो ने सामालात मे बेरा खुदवाया थां। दोनो भाईयो ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया था।

6. प्रतिवादी संख्या 1 श्री पेमाराम ने साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 58/1 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा की कृषि भुमि वादी व मेरी शामलाती खातेदारी कृषि भुमि है। वादी एवं मेरा का उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि पर वादी द्वारा पेश सलंग्न नक्शें अनुसार कभी भी बंटवारा नहीं हुआ अपितु पूर्व मे वादी एवं मेरे बीच मे जो शामलाती कृषि भुमि मौजा गांव आकेली मे स्थित थी। उक्त कृषि भूमि मे मुझको अपना हिस्सा मिड एण्ड बाउंडस के हिसाब से न देकर बंजर भूमि दी गई उसकी बएवज मुझको उक्त कृषि भूमि मे मुझको अपना हिस्सा मिड एंड बाउंडस के हिसाब से न देकर बंजर भुमि दी गई उसकी बएवज मुझको उक्त कृषि भुमि मे सड़क के किनारे की कृषि भूमि अपने बंटवाडे 1/2 के अनुसार दी गई तत्पश्चात मुझ प्रवितादी द्वारा लोन लेकर अपने काबिज भाग पर कुआ खुदवाया गया। अब वादी आकेली की उपजाउ कृषि भूमि प्राप्त करने के पश्चात अपने वादे से हट कर उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 58/1 का भी बंटवारा अपने द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार करवाया चाहता है जो किसी भी रूप से न्याय संगत नहीं है। वादी व मेरे बीच कभी भी खसरा नम्बर 58/1 के आपसी बंटवारे की सहमति वादी द्वारा

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत नक्शे अनुसार नहीं हुई और ना ही उक्त कृषि भूमि पर वादी एवं मेरे उक्त नक्शे अनुसार काबिज रहे। मेरा कब्जा काश्त उक्त कृषि भूमि पर सड़क के किनारे किनारे आज दिन तक रहता आ रहा है। जब वादी एवं मेरे बीच वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार कब्जा काश्त ही नहीं है तब वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि का लिखित बंटवारा व तरमीम करवाने हेतू निवेदन करने का प्रश्त ही पैदा नहीं होता। न ही कभी प्रतिवादी संख्या एक ने वादी इस प्रकार बंटवारा एवं तरमीम करवाने का आश्वासन दिया। मेरे द्वारा दिनांक 21.11.2013 को अंकित करना मात्र दावा पेश करने की गरज से किया गया है। उक्त दिनांक को न तो वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक से बात की गई और न ही उक्त कथन किया गया है। बंटवारा एवं तरमीम के दावे मे प्रतिवादी संख्या दो जो भूमिधारी है बतौर औपचारिक पक्षकार संयोजित नहीं होता है। इस परिस्थितियों मे प्रतिवादी दो को 80(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता का दावे से पूर्व नोटिस दिया जाना अति आवश्यक है। वादी द्वारा किसी प्रकार का प्रतिवादी संख्या एक को उक्त बंटवारा वादी द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शे के अनुसार करने का निवेदन नहीं किया गया है वादी द्वारा किसी प्रकार का मुझको उक्त बंटवारा वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार करने का निवेदन नही किया गया है। क्योकि मेरा कब्जा काश्त ही सड़क के किनारे है तब वादी द्वारा प्रस्त नक्शे के अनुसार बंटवारा किये जाने का निवेदन करने का कथन ही सरासर गलत है। वादी को किसी प्रकार का वाद हेतूक प्राप्त नहीं हुआ है। वादी द्वारा बदनीयति पूर्वक आकेली की शामलाती कृषि भुमि का उपजाउ भाग प्राप्त करने के पश्चात लोभवश मेरे साथ धोखा करने का षडयंत्र रचते हुए उक्त बंटवारा करने का वाद पेश किया गया है जो किसी भी रूप से न्याय संगत नहीं है। काबिल एक निरस्त है और ना ही इस संदर्भ मे दिनांक 21.11.2013 को वादी की मेरे साथ किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई। जिससे भी वाद काबिल ए निरस्त है। वादी को अन्य शामलाती कृषि भूमि जो मौजा आकेली में स्थित है उसमे से उपजाउ भाग जो दिया गया है उसके बएवज मैं करीबन सात आठ वर्षो से कृषि कार्य करता आ रहा है। अगर वादी आकेली गांव मे स्थित शामलात कृषि भूमि का बंटवारा मिड एंड बाउण्डस के हिसाब से करता है तो मैं भी तदनुरूप बंटवारा करने को तैयार हुँ। वादी दोनो हाथों मे लडडू नहीं रख सकता है। मौजा गांव आकेली में स्थित वादी एवं मेरी शामलाती कृषि भुमि का बंटवारा भी मिड एंड बाउण्डस के हिसाब से करवाने की स्थित मे वादी उक्त कथन करने का हकदार हो सकता है। इस प्रकार वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष विधि विरूद्ध है। जिरह में बताया कि आकेली मे 15 बीघा जमीन थी मेरे हिस्से मे आधी जमीन आई। आकेली की जमीन हमने राजीबाजी थे उस समय की थी। वादग्रस्त कृषि भूमि के डावा तरफ प्लॉट कटे हुए है जीमने तरफ क्या है मुझे याद नहीं है। डावा तरफ किसकी जमीन है किसने प्लॉट काटे मुझे पता नहीं। वादग्रस्त भूमि कितना बीधा थी मुझे पता नहीं जमीन कभी मापी नहीं। जमीन कितने बीघा है और खसरा नंब क्या है मुझे पता नहीं। प्रस्तुत शपथ पत्र मे खसरा नंबर क्या लिखे हुए है और कितना रकबा लिखा हुआ है और कितना रकबा लिखा हुआ है मुझे पता नहीं। उतवण की कांकड़ मे स्थित जमीन का राजीबाजी बंटवाड़ा हो चुका है। उतवण की कांकड़ की जमीन का बंटवाड़ा हुआ उसका लिखित हुआ या नहीं पता नहीं। यह कहना गलत है कि बेरा मेरे भाई ने खुदवाया हो। बेरा मैंने व मेरे भाई ने खुदवाया। यह कहना गलत है कि मैंने व मेरे भाई ने वादग्रस्त भूमि पर सड़क पर से आधा आधा हिस्सा विभाजित किया हो। यह कहना गलत है कि मरे भाई ने मुझे वादग्रस्त भूमि का कानूनी रूप से विभाजन करने हेतु कहा हो।

7. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस के द्वौरान वकील वादी ने निवेदन किया कि पाली तहसील के मौजा ग्राम उतवण, पटवार क्षेत्र बोमादड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेरवा मे स्थित खसरा संख्या 58/1 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 संयुक्त रूप से खातेदार कृषक है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान मे दोनो का संयुक्त रूप से कब्जा व कास्त है। वादग्रस्त भूमि के मौखिक बंटवाड़ा अनुसार या बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाये जाने व विधि अनुसार उक्त भूमि को तरमीम करने की डिक्री प्रदान करावें।

बहस के द्वौरान वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया कि खसरा नम्बर 58/1 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी की शामलाती खातेदारी कृषि भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी का उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि पर वादी द्वारा पेश सलंग्न नक्शें अनुसार कभी भी बंटवारा नहीं हुआ। तथा उक्त कृषि भुमि हम इसलिये मिली थी क्योकी हमे दूसरी जगह कम उपजाऊ की जमीन मिली थी। थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, पाली ने मौका फर्द मे हमारी जमीन बताई है।

8. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रदर्श–1 सरहद मौजा उतवण की जमाबंदी के खाता संख्या 38 में खसरा नंबर 58 रकबा 10.00 बीघा 07 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 58/1 रकबा

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

17 बीघा 06 बिस्वा भूमि कूपाराम पेमाराम पि. सवा कुम्हार सा. आकेली खातेदार के नाम दर्ज किया गया। प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि है। प्रदर्श–03 अंतिम फार्म/रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि है। प्रदर्श–04 प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि है। प्रदर्श–05 अपराध विवरण फार्म की प्रमाणित प्रतिलिपि है। सरहद मौजा ग्राम उतवण, पटवार क्षेत्र बोमादड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेरवा मे स्थित खसरा संख्या 58/1 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 संयुक्त रूप से खातेदार कृषक है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट, 1955 का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की जाती है कि ग्राम उतवण, पटवार क्षेत्र बोमादड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेरवा मे स्थित खसरा संख्या 58/1 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा भूमि पक्षकारों के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर अलग–2 खसरा नंबर, रकबा एवं लगान का निर्धारण कर नजरी नक्शा में दर्शाया जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री Rule 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए 15 दिवस की अवधि में इस न्यायालय को प्रस्तुत करने का तहसीलदार, पाली को आदेश दिया जाता है। प्राथमिक डिक्री परचा मुर्तिब हो। इस निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, पाली को पालना करने हेतु प्रेषित की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

इजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकद्दमा संख्या 02 सन् 2014

वादीः–

1. श्री कुपाराम पुत्र श्री सवाजी जाति कुम्हार, उम्र 75 वर्ष निवासी आकेली, तहसील एवं जिला पाली (राजस्थान)

बनाम प्रतिवादीगणः–

1. श्री पेमाराम पुत्र श्री सवाजी, जाति कुम्हार, उम्र व्यस्क निवासी आकेली, तहसील एवं जिला पाली (राजस्थान)
2. राज्य सरकार द्वारा भूमिधारी तहसीलदार, पाली (राजस्थान)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री दुष्यन्त व्यास, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मनोहर दास वैष्णव मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की जाती है कि ग्राम उतवण, पटवार क्षेत्र बोमादड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेरवा मे स्थित खसरा संख्या 58/1 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा भूमि पक्षकारों के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर अलग–2 खसरा नंबर, रकबा एवं लगान का निर्धारण कर नजरी नक्शा में दर्शाया जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री Rule 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए 15 दिवस की अवधि में इस न्यायालय को प्रस्तुत करने का तहसीलदार, पाली को आदेश दिया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह... ..शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..31.. माह ....10..... सन् 2019 .को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2019.11.26 18:51:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: